

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी त

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>गोपाल प्रसाद पिता स्व० श्यामसुन्दर प्रसाद, निवास स्थान-कोर्दा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्दा, थाना नं०-156, खाता संख्या-72, प्लॉट संख्या-761, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि निरज कुमार पासवान पिता भोला पासवान, निवास स्थान ग्राम-बहेरी, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.- RCMSON22027495 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-570/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3238/रा० दिनांक 01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1477 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, चेक स्लीप एवं ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत रामटहल दुसाध हैं। केवाला अनुसार खरीदगी भूमि कुल रकवा 0.12 एकड़ है। पंजी-11 के अनुसार धारित कुल रकवा 0.12 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-44/XII पर आवेदक के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् केवाला से प्राप्त भूमि में रकवा 0.08 एकड़ तथा अन्य स्थान पर लगभग 0.40 एकड़ भूमि बचती है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p>	

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी ता

3

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में गोपाल प्रसाद पिता स्व0 श्यामसुन्दर प्रसाद, निवास स्थान-कोर्दा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कोर्दा, थाना नं0-156, खाता संख्या-72, प्लॉट संख्या-761, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि निरज कुमार पासवान पिता भोला पासवान, निवास स्थान ग्राम-बहेरी, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

[Signature]
अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

[Signature]
अपर समाहर्ता, हजारीबाग।